

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

**Section 26 : Deemed registration**

- (1) The grant of registration or the Unique Identity Number under the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a grant of registration or the Unique Identity Number under this Act subject to the condition that the application for registration or the Unique Identity Number has not been rejected under this Act within the time specified in sub-section (10) of section 25.
  - (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (10) of section 25, any rejection of application for registration or the Unique Identity Number under the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a rejection of application for registration under this Act.
-

**धारा 26 : माना गया रजिस्ट्रीकरण**

- (1) राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्यांक को मंजूर किया जाना, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि रजिस्ट्रकरण या विशिष्ट पहचान संख्यांक के लिए आवेदन धारा 25 की उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर खारिज नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्यांक का मंजूर किया जाना समझा जाएगा।
  - (2) धारा 25 की उपधारा (10) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्यांक के लिए आवेदन का खारिज किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का खारिज किया जाना समझा जाएगा।
-